

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 24.10.2021

### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुनीम चन्द्र वर्मा पुत्र रामशब्द वर्मा नि० दुर्जनपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 262/21, 02. श्यामरंग बरुवार पुत्र जयराम नि० कौरहे थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 263/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ठाकुर प्रसाद पुत्र स्व० राजकरन कोरी नि० कोरिनपुरवा उदयपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 360/21, 02. पाटनदीन पुत्र रामफेर कोरी नि० करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 361/21, 03. लक्ष्मन पुत्र जगन्नाथ नि० खिरिया कालोनी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 363/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृपाराम पुत्र बच्चू नि० लोकईपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 295/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामइन्दर पुत्र छोटे लाल नि० सिसई परसिया रानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 216/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राजमन वर्मा पुत्र रामधीरज नि० दुल्हमपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 264/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **06. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. शिवहरक यादव पुत्र छविलाल यादव नि० बरदही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 318/21, 02. जानकी पुत्र जन्नू नि० बेहला बन्दरहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 319/21, 03. रामशेखर पुत्र सद्धन नि० बेलहा बन्दरहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 320/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **07. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती सुरसती पत्नी स्व० जोगी नि० राधेपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 796/21, 02. विवेक तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी नि० तिवारीपुरवा बालपुर जाट थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 798/21, धारा 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.10.2021**

**01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 23.10.2021 को थाना कौड़िया के उ०नि० अजय पाण्डेय मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त- सिराज अहमद को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान उक्त अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सिराज अहमद पुत्र स्व० मोहम्मद अली नि० आर्यनगर छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 217/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० अजय पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 24.10.2021**

**थाना वजीरगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**  
**संक्षिप्त विवरण-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामकरन कोरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय स्वाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रामकरन पुत्र जगनप्रसाद नि० भरहापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 362/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. मु०आ० अजय कुमार गुप्ता मय टीमा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 24.10.2021**

**थाना खरगूपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विजय चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय स्वाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. विजय चौहान पुत्र स्व० सोमई चौहान नि० बालपुर पिपरा भोधर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 256/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. मु०आ० विनोद पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 24.10.2021**

**थाना उमरीबेगमगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विवेक सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. विवेक सिंह पुत्र स्व० रामगोपाल सिंह नि० अमदही टोला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 172/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. उ०नि० राजेश कुमार मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक- 24.10.2021**

**थाना को0नगर ने नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों 01. अजय कुमार, 02. बृजेश कश्यप उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. अजय कुमार पुत्र कैलाश नि0 मालवीय नगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. बृजेश कश्यप उर्फ बाबू पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 मालवीय नगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 795/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 798/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 02 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तारकर्ता-**

01. उ0नि0 अजय कुमार गुप्ता मय टीमा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.10.2021**

**चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी करने के आरोपी अभियुक्त-लौटन सोनकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 22.10.2021 को वादी बहादुर पाण्डेय पुत्र रामकृष्ण पाण्डेय नि० सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कमरे में रखा 01 पंखा, 01 नल , 01 छाता, 1140 रुपये व अन्य सामान चोरी कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. लौटन सोनकर पुत्र गंगाराम नि० लालपुर मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 263/21, धारा 380,411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी:-**

01. 01 पंखा ।
02. 01 छाता ।
03. 01 नल ।
04. चोरी के 980 रुपये ।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

उ०नि० रामअशीष मौर्या मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 24.10.2021**

**मड़हे में आग लगाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मड़हे में आग लगाने के आरोपी अभियुक्त- राजू को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 22.10.2021 को वादिनी सुन्दपती पत्नी बलराज नि० रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के मड़हे में आग लगा दिया था जिससे मड़हे में रखा सामान जल गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

01. राजू पुत्र धर्मराज नि० रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 354/21, धारा 435 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० रजनीश द्विवेदी मय टीम